बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

आ0 सं0–1/एल0–1–1025/2017–233 पटना/दिनांक–27.04.2026

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत कार्यरत पदाधिकारी यथा अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति का निर्धारण विभागीय कार्यालय आदेश सं0–22–सह–पठित ज्ञापांक–355, दिनांक–29.06.2018 द्वारा किया गया है। उक्त आदेश को संशोधित करते हुए आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र0	पदाधिकारी	आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
1	अभियंता प्रमुख–सह– विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)	सचिव
2	मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय)	सचिव
3	अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय)	सचिव
4	कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) (क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय)	सचिव

2. जिलों में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता संबंधित जिला पदाधिकारी से भी पुर्वानुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़ेंगे।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

4. पूर्व में इससे संबंधित निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेगें।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–1/एल0–1–1025/2017–233 पटना, दिनांक–27.04.2026

प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय/कार्य प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)